

**अधिसूचना संख्या 206/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1993(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 737(ई) दिनांक 13 मार्च, 2009 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 4 पर, "सेवालय, सेवालय परिसर, कासुवा गांव, पाक्कम पोस्ट, थिरुनिनरावुर के पास - 602024" द्वारा "बाल गृह परियोजना" को वित्तीय वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था और जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2898 (ई) दिनांक 27 दिसंबर, 2011 और शुद्धिपत्र एस.ओ. संख्या 2560 (ई) दिनांक 26.10.2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के छह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह संतुष्ट होने पर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा "सेवालय प्राथमिक विद्यालय भवन परियोजना" योजना या परियोजना को, जिसे "सेवालय, सेवालय परिसर, कासुवा गांव, पक्कम पोस्ट, निकट थिरुनिनरावुर-602024" द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, 3.00 करोड़ रुपये की एक कोष निधि सहित 3.63 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत में किसी भी परिवर्तन के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित करती है।

■ ■